फर्द अहकाम
(नियम 15)

अज अदालत –उप खण्ड अधिकारी, मुकाम सोजत

प्रार्थीगणः–	बनाम	अप्रार्थीगणः–
नारायणसिंह पुत्र मोतीसिंह जाति राजपूत सा0 सियार तह0 सोजत		पृथ्वीसिंह पुत्र नारायणसिंह जाति राजपूत सा0 सियार तह0 सोजत

किस्म मुकदमाः– राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत माता-पिता व व० ना० भरण पोषण कल्याण अधि० 2007 नंबर 01 / सन 2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुआ।
18.05.2020	वकील प्रार्थीगण उपस्थित। वकील प्रार्थीगण ने राजस्व प्रा.पत्र अर्न्तगत धारा माता-पिता व व० ना० के भरण पोषण कल्याण अधि. 2007 तहत विरुद्व अप्रार्थीगण पेश किया है। राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण को जरिए नोटिसेज तलब किया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनॉक 08-07-20 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उप खण्ड अधिकारी, सोजत (जिला –पाली)	
08-07-20	दकुलाय उपस्थित। आज श्रीमान् पीठासीन अधिकारी महोदय अन्य राजकीय कार्यो में व्यस्त/भ्रमण/अवकाश पर है। अतः पेशी इल्तबा होकर पत्रावली दिनांक 15/09/20 को पेश हो। (हस्ताक्षर) रीडर उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, सोजत	
15/9/20	वकील उप०। TDR Sojat से जांच रिपोर्ट का इन्तजार होकर पत्रावली आइन्दा दि 19/11/20 को पेश हो। (हस्ताक्षर) SDO Sojat	
19/11/20	वकुलाय उपस्थित। आज श्रीमान् पीठासीन अधिकारी महोदय अन्य राजकीय कार्यों में व्यस्त/भ्रमण/अवकाश पर है। अतः पेशी इल्तबा होकर पत्रावली दिनांक 13/1/21 को पेश हो। (हस्ताक्षर) रीडर उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, सोजत	
13/1/21	वकुलाय उपस्थित। आज श्रीमान् पीठासीन अधिकारी [illegible] अन्य [illegible] कार्यों में व्यस्त/भ्रमण/अवकाश पर है। अतः पेशी [illegible] होकर पत्रावली [illegible] 25/3/21 को पेश हो। (हस्ताक्षर) रीडर उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, सोजत	

Scanned with CamScanner

25/3/21 पत्रावली पेश हुई।

प्रार्थीगण अनुपस्थित। इस्तगासा प्रकरण में प्राप्त भू. अ. निरीक्षक व पटवारी की रिपोर्ट प्राप्त हुई। ला. मि. है। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत विरुद्ध अप्रार्थीगण पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थीगण संख्या 1-2, 5-6 प्रार्थियों से जानबूझकर प्रार्थीगण का भरण पोषण देखरेख इत्यादि नहीं कर रहा है। प्रार्थी संख्या 01 को मारता पीटता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 ने प्रार्थीगण को घर से बेघर कर दिया है इस प्रकार प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थी के स्वामित्व का पट्टा, व मकान का कब्जा व अन्य दस्तावेज व मेडल प्रार्थी को सुपुर्द करवाकर भरण पोषण की राशि हेतु आदेश प्रदान करने की निवेदन की।

मौका रिपोर्ट अनुसार नारायणराम व उनकी पत्नि छोटे बेटे के साथ निवास कर रहे हैं तथा बड़ा बेटा नरेन्द्रसिंह अपनी पत्नि व बच्चे सहित पड़ोस के मकान में निवास कर रहे हैं। सियार में ख.न. 515 रकबा 2.44, 2.80 आदि भूमि स्थित है। नारायणराम सेवा निवृत हो चुके हैं।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। नारायणराम स्वयं अपना व अपनी पत्नि का भरण पोषण करने में समर्थ है प्रार्थी संख्या 1 के नाम स्थित भूमि व उसे मिलने वाली पेंशन से स्वयं व पत्नि की आवश्यकता पूर्ति की जा सकती है अप्रार्थी द्वारा यदि प्रार्थी के हक अधिकार में व्यवधान डाला है या अवैध कब्जा किया है तो उसके लिए सक्षम न्यायालय में कार्यवाही के लिए स्वतंत्र है उपरोक्त विवेचन तथा विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है पत्रावली कैफियत सुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
उप खण्ड अधिकारी
[illegible] राज

Scanned with CamScanner